213hi24

24

राष्ट्रीय एकीकरण तथा पंथ निरपेक्षता

आपने हमलोगों का राष्ट्रगान 'जन गण मन' सीखा होगा तथा गाया भी होगा। विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय महत्व के समारोहों के दौरान आपने अन्य सभी लोगों के साथ मिलकर इसे गाया होगा। कभी कभी आप यह जानने के लिए उत्सुक होते होंगे कि यह राष्ट्रगान किन विचारों को व्यक्त करता है? इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों, पर्वतों एवं नदियों के नाम क्यों शामिल किए गए हैं? तथा इसमें समुद्र की क्यों चर्चा की गई है? आप इस बात से सहमत होंगे कि राष्ट्रगान गाते समय हम सभी अपने देश के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं इसका आदर करते हैं। तथा इसके विजय की कामना करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों, पर्वतों तथा नदियों का नाम लेते हुए हम अपने देश की विविधता में एकता को आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। आपने देश की एकता एवं अखण्डता की आवश्यकता पर केन्द्रित समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों या लेखों को पढा होगा या इस विषय पर टेलीविजन में हुई चर्चाओं को देखा होगा। यह सच है कि देश की एकता एवं अखण्डता, अर्थात राष्ट्रीय समाकलन हमारे देश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। देश की एकता और अखण्डता से सम्बन्धित मुद्दों का विश्लेषण करने के दौरान पंथ निरपेक्षता को देश की एक आधारभूत विशेषता बताया जाता है। यह कहा जाता है कि पंथ निरपेक्षता राष्ट्रीय समाकलन की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है। इस पाठ में आप इन्हीं दो प्रमुख विषयों राष्ट्रीय समाकलन तथा पंथ निरेक्षता के बारे में जानेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पूरा कर लेने के बाद आप :

- राष्ट्रीय समाकलन के अर्थ तथा महत्व को समझ सकेंगे;
- इसकी समीक्षा कर सकेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन के विरूद्ध राष्ट्रीय आंदोलन ने राष्ट्रीय समाकलन में मदद की;
- भारतीय संविधान में राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- हमारे देश में राष्ट्रीय समाकलन की चुनौतियों की पहचान कर पायेंगे;

- पंथ निरपेक्षता के निहितार्थों को समझ सकेंगे; तथा
- एक व्यक्ति की भारत के नागरिक के रूप में तथा परिवर्तन के एक एजेंट की तरह हमारे देश में राष्ट्रीय समाकलन तथा पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देने की भूमिका की समीक्षा कर सकेंगे।

24.1 राष्ट्रीय समाकलन

24.1.1 राष्ट्रीय समाकलन अर्थ एवं महत्व

राष्ट्रीय समाकलन पर चर्चा करने से पहले इसका अर्थ समझ लेना बेहतर होगा। इस पद में दो अर्थ हैं? राष्ट्र एक ऐसे देश को कहते हैं जहां की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना एकीकृत होती है। वहां के लोगों में सामान्य इतिहास समाज संस्कृति तथा मूल्यों पर आधारित एकत्व की भावना होती है। यही भावना लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ लांघती है। सामान्य अर्थ में इसी भावना को राष्ट्रीय समाकलन कहते हैं। राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक सामूहिक पहचान का बोध है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि नागरिक विभिन्न समुदायों के हैं उनकी जातियां भिन्न भिन्न हैं, उनका धर्म और उनकी संस्कृति अलग अलग है वे अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं तथा विभिन्न भाषाएं बोलते हैं लेकिन वे सभी तहे दिल से स्वीकार करते हैं कि वे एक हैं। इस तरह का राष्ट्रीय समाकलन एक मजबूत एवं प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।

क्या आप जानते हैं

राष्ट्रीय समाकलन को सुनिश्चित करने का अर्थ एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण निर्मित करना है जो प्रत्येक व्यक्ति को देश के प्रति निष्ठा को समूह निष्ठाओं से तथा देश के कल्याण की संकीर्ण साम्प्रदायिक हितों से उपर रखने की प्रेरणा है। – डोरोथी सिम्पसन

हम यह जानते हैं कि भारत महाविविधताओं वाला देश है। यहां विभिन्न प्रजातियों, समुदायों तथा जातियों के लोग रहते हैं। वे भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं तथा अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं। वे विभिन्न धर्मों में विश्वास करते हैं तथा उनका आचरण करते हैं। उनकी जीवनशैली में भी काफी विविधता है किन्तु इस व्यापक विविधताओं के बावजूद ये सभी भारतीय हैं तथा वैसा ही अनुभव करते हैं। उनकी अनेक धार्मिक पहचान हो सकती है, जैसे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध या पारसी। उनकी पहचान पंजाबी, तमिल, मलयाली, बंगाली या मणिपुरी के रूप में अथवा दक्षिण या उत्तर या उत्तर-पूर्वी भारतीय के रूप में हो सकती है, किन्तु उनकी राष्ट्रीय पहचान सर्वोपरि है।

क्या आप जानते हैं

पंडित नेहरू ने एक बार कहा था, "राजनीतिक समाकलन तो हो गया है लेकिन मैं जिसके लिए प्रयत्नशील हूं वह उससे भी अधिक गहन है। वह है भारत में लोगों का भावनात्मक समाकलन ताकि हमारी प्रशंसनीय विविधताओं को बरकरार रखते हुए ये दोनों मिलकर राष्ट्रीय एकता का निर्माण करें।

राष्ट्रीय समाकलन किसी भी ऐसे राष्ट्र के लिए अनिवार्य है, जहां सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भाषागत तथा भौगोलिक विविधताएं हों। हमारे देश के लिए तो यह और भी अधिक अनिवार्य है। भारत एक विशाल देश है। हमारी जनसंख्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। यहां दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का आचरण होता है, जैसे हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख तथा पारसी। क्या आप धर्मों की पहचान नीचे दिए चित्र में उनके प्रतीक से कर सकते हैं। भारत में लोग एक हजार से भी अधिक भाषाएं बोलते हैं। पहनावे, खान-पान की आदतों तथा सामाजिक रिवाजों में भी बहुत अधिक विविधताएं हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी हमारे देश में विविधताएं हैं। ऐसी ही स्थिति मौसम के संबंध में भी हैं। इन विविधताओं के बावजूद भारत का एक राजनीतिक अस्तित्व हैं। हमलोगों को एक-दूसरे के साथ शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना पड़ता है, तथा अपने भारतीय साथियों के धर्मों तथा उनकी संस्कृतियों का आदर करना पड़ता हैं। यह तभी संभव है जब सही अर्थ में राष्ट्रीय समाकलन साकार हो। राष्ट्रीय समाकलन हमारे राष्ट्र की सुरक्षा तथा इसके विकास के लिए भी आवश्यक है।

चित्र 24.1 धर्मों के प्रतीक चिन्ह

क्रियाकलाप 24.1

प्रायः यह दावा किया जाता है कि क्रिकेट भारत में एक धर्म जैसा है। आप भी यह अनुभव किए होंगे, कि जब क्रिकेट का खेल होता है तो ऐसा लगता है कि लगभग पूरा देश टेलीविजन के सामने बैठा है। हमारे क्रिकेट के लिए खिलाड़ी देश के विभिन्न भागों तथा विविध सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के हैं। लेकिन वे देश के लिए एक ईकाई की तरह खेलते हैं। भारत के सभी क्षेत्रों के लोग उनके इस खेल के साथ तन्यमयता से जुड़े रहते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की प्रत्येक जीत का उत्सव मनाते हैं तथा हार पर अपनी निराशा प्रकट करते हैं। क्या राष्ट्रीय समाकलन का इससे बेहतर उदाहरण हो सकता है? इस अनुभव पर आधारित कम से कम 5 युवकों का निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार इकटठा कीजिए। ये युवक आपके वर्ग के प्रार्थी या आपके पड़ोस में रहनेवाले हो सकते हैं।

1. क्रिकेट के सम्बन्ध में भारतीय वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा उपर कहा गया है?

2. लोग क्रिकेट के महान खिलाड़ियों की लगभग पूजा क्यों करते हैं, यद्यपि वह खिलाड़ी किसी दूसरे क्षेत्र या राज्य का रहनेवाला होता है तथा इसका धर्म या उसकी जाति अलग होती है?

3. ऐसे और कौन से अवसर हैं, जब प्रत्येक व्यक्ति एक भारतीय की तरह व्यवहार करता है, एक बिहारी या मराठी या तेलुगू या ब्राह्मण या दलित की तरह नहीं? इन उत्तरों का विश्लेषण कीजिए तथा राष्ट्रीय समाकलन के महत्व को समझिए।

पाठगत प्रश्न 24.1

1. खाली स्थानों को भरिए :

   (i) राष्ट्र एक ऐसा देश है .....

   (ii) राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक ..... का बोध है।

   (iii) इस तरह का राष्ट्रीय समाकलन एक ..... के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है।

   (iv) भारत में दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों जैसे ..... का आचरण होता है।

2. राष्ट्रीय समाकलन क्यों जरूरी है?

24.1.2 राष्ट्रीय आन्दोलन तथा राष्ट्रीय समाकलन

आपको ऐसे अवसर याद होंगे जब आपने पढा था या आपसे कहा गया था कि प्राचीन युग में भारत देश था। हां जिस भारत को हम आज देखते हैं वह प्राचीन युग से ही बना हुआ हैं लेकिन इसके अस्तित्व मात्र भौगोलिक रहा है। क्योंकि यह अनगिनत राजवाड़ों में विभाजित था। उनमें सांस्कृतिक समानताएँ थी, किन्तु यह आज की तरह का एकीकृत तथा समाकलित राष्ट्र नहीं था। ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार भारत प्रशासनिक दृष्टि संगठित हुआ। ब्रिटिश शासकों ने अनेकों रजवाड़ों पर कब्जा किया तथा अन्य पर परोक्ष रूप सेअपना शासन स्थापित किया। भारत का एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक अस्तिव कायम हुआ, किन्तु लागों में राष्ट्रत्व की भावना तथा संवेदनशीलता नहीं थी। बल्कि ब्रिटिश शासकों की तो विभाजित करो और शासन करो की रणनीति थी। उन लोगों ने प्रमुख रूप से हिन्दुओं तथा मुसलमानों में साम्प्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। साथ यहाँ के लोगों की आर्थिक विकास की उपेक्षा ने देश को अधिक विभाजित किया।

पहलीबार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रत्व की भावना एवं संवदेनशीलता का संचार हुआ तथा राष्ट्रीय समाकलन की आवश्यकता महसूस की गई। इस आंदोलन में विभिन्न क्षेत्रों, धर्मो, संस्कृतियों, समुदायों, जातियों तथा पंथो के लोग एकजुट हुए ताकि ब्रिटिश सत्ता को भारत से निकाल फेंका जा सके।विशेष रूप से 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के झण्डे के नीचे देश के सभी भागों के लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिश शासकों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। चूँकि ब्रिटिश शासकों ने "विभाजित करो और शासन करो" की नीति

अपनाई थी, राष्ट्रीय आन्दोलन ने देश के लोगों में एकता को मजबूत करने पर बल दिया। आन्दोलन के नेतृत्व ने समानता, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया। यही कारण है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इनको भारत के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया गया।

क्रियाकलाप 24.2

जैसा आप जानते हैं, देश के प्रत्येक भाग के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तथा अनेकों ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उनमें से कई स्वतंत्रता सेनानी आपके राज्य के भी होंगे। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की एक सूची तैयार कीजिए जो आपके राज्य के हों। आप ऐसा करने के लिए अपने परिवार तथा पडोस के बुजुर्ग सदस्यों, शिक्षकों या अन्य लोगों की सहायता ले सकते हैं।

24.1.3 राष्ट्रीय समाकलन और भारतीय संविधान

जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो इसके समक्ष अनेक समस्याएँ थीं। राष्ट्रीय समाकलन तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसी समय देश का दो भागों, भारत तथा पकिस्तान में विभाजन हुआ था। इस दौरान देश सबसे बुरे सांप्रदायिक दंगो के दौर से गुजरा था। बहुत लोगों को शरणार्थियों की तरह उन क्षेत्रों को छोडकर दूसरे क्षेत्रों में भागना पडा था, जहाँ वे पीढियों से रह रहे थे। आपने कुछ फिल्मों में तथा टेलीविजन पर वैसे दृश्य देखें होंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय नेतृत्व के समक्ष रजवाड़ों को देश में समाहित करने से संबंधित जटिल मुद्दे थे। कई अन्य कारण भी थे जिनमें देश की एकता और अखण्डता के लिए समस्याएँ उत्पन्न करने की क्षमता थी।

क्या आप जानते हैं

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले भारत दो तरह के क्षेत्रों में विभाजित था एक क्षेत्र को ब्रिटिश इन्डिया के नाम से जाना जाता था तथा दूसरे प्रकार के क्षेत्र में 562 स्वतन्त्र रजवाडे थे। पहला क्षेत्र ब्रिटिश शासकों के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में था, जबकि दूसरे पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई तो रजवाड़ों को यह विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। कुछ रजवाड़े पाकिस्तान में शामिल हुए, लेकिन बाकी सभी भारत में शामिल हो गए। लेकिन हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर तथा जूनागढ़ रजवाड़े स्वतन्त्र रहना चाहते थे। साथ ही मणिपुर तथा त्रिपुरा के संबंध में भी कुछ समस्याएँ थीं।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि के कारण भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बहुत अधिक बल देता है। इसकी प्रस्तावना में ही राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत की सम्प्रभुता तथा एकता एवं अखण्डता की रक्षा करना तथा उन्हें अच्छुण्ण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। संविधान देश की विविधता का आदर करते हुए देश की एकता एवं अखण्डता को सुनिश्चित करने का भी

प्रयास करता है। इसलिए संविधान ने एक मजबूत केन्द्र वाली संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया है। आपने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से सम्बंधित पाठों का अध्ययन करते समय ऐसा पाया होगा।

क्या आप जानते हैं

मौलिक कर्त्तव्यों के अंतर्गत किए गए कई प्रावधान राष्ट्रीय समाकलन को सबल बनाते हैं। निम्लिखित महत्वपूर्ण हैं:

- संविधान का पालन करना और उसके आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, तथाा राष्ट्रगान का आदर करना।
- स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्ररित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय मे सँजोए रखना और उनका पालन करना;
- देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना
- भारत के सभी लोगो में ऐसी समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और देश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो।
- ऐसी समेकित संस्कृति गौरवशाली परम्परा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना
- सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना
- व्यक्तिगत और सामुहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरन्तर प्रगति करते हुए उपलब्धि की नई उँचाइयों को छू ले।

पाठगत प्रश्न 24.2

1. खाली स्थानों को भरिए :
   (क) ब्रिटिश शासन के दौरान भारत भौगोलिक दृष्टि से एकीकृत हुआ लेकिन यह एक ..... राष्ट्र नहीं था।
   (ख) स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पहली बार ..... की भावना एवं संवेदनशीलता का संचार हुआ
   (ग) स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न ..... के लोग एकजुट हुए ताकि ब्रिटिश सत्ता को भारत से निकाल फेंका जा सके।
   (घ) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का गठन ..... में हुआ था।
2. क्या आप यह मानते हैं कि भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बल देता है? कैसे?

24.1.4 राष्ट्रीय समाकलन की चुनौतियाँ

जैसा कि हमलोगों ने देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत के समक्ष राष्ट्रीय समाकलन की अनके चुनौतियाँ थी। यघपि उन समस्या का समाधान करने के अनेक उपाय किए गए हैं, चुनौतियाँ जारी हैं। उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं :

क. साम्प्रदायिकता

साम्प्रदायिकता वैसी सर्वाधिक जटिल समस्याओं में से एक है, जिसका सामना भारत वर्षो से करता आया है। यह तब जन्म लेती है जब एक धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति अत्यधिक प्रेम तथा दूसरे धर्मों के विरूद्ध घृणा करने लगते हैं। इस तरह की भावना धार्मिक कट्टरवाद और धर्मान्धता को बढ़ावा देती है तथा देश की एकता एंव अखण्डता के लिए खतरा पैदा करती है। ऐसा होने की संभावनाएँ भारत जैसे देश में अधिक रहती हैं। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही साम्प्रदायिकता से परेशान है। हम यह जानते हैं कि ठीक स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हम लोगों को सबसे खराब सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भी देश के विभिन्न भागों में अनको बार साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं।

क्रियाकलाप 24.3

स्वतंत्रता के बाद हुए कम-से-कम 3 साम्प्रदायिक दंगों को बताइए। पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं या इन्टरनेट के माध्यम से उन दंगो के संबंध में तथ्य एकत्रित कीजिए। क्या आपने भारत में हुए सांप्रदायिक दंगो पर बनी किसी फिल्म का नाम सुना है या देखी है? यदि आपने नहीं तो आपके बुजुर्गो या दोस्तों ने देखी होगी। उन लोगों से उस फिल्म के बारे में सूचना इक्ट्ठा कीजिए। वैसी सूचनाएँ इन्टरनेट से भी उपलब्ध की जा सकती हैं।

उपर्युक्त दोनो पर एक संक्षिप्त लेख तैयार कीजिए। उसमें यह विश्लेषित कीजिए आप सांप्रदायिक दंगों के बारे मे क्या सोचते हैं?

क. क्षेत्रीयवाद

क्षेत्रीयवाद राष्ट्रीय समाकलन के मार्ग में एक अन्य बाधा है। कई अवसरों पर यह लोगों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की कीमत पर भी क्षेत्रीय हितों को बढावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सोच हो सकती है कि निर्णय लेने वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी विशेष क्षेत्र की समस्याओं को उठाना तथा उस क्षेत्र की उचित मांगो को पूरा करने के लिए उन्हें बाध्य करना आवश्यक होता है। यह सोच यथोचित लगती है क्योंकि वे मांगे क्षेत्र की सच्ची शिकायतों पर आधारित हो सकती हैं। उस क्षेत्र या उस क्षेत्र के राज्यों को विकसित करने की प्रक्रिया में उचित हिस्सा नहीं मिला हो। वे मांगे किसी क्षेत्र की लगातार अवहेलना पर भी आधारित हो सकती हैं।

पिछले छः दशकों के योजनाबद्ध विकास के बावजूद देश के सभी क्षेत्रों का वांछित ढंग से विकास नहीं हो पाया है। अन्य कारणों के साथ-साथ वांछित सामाजिक आर्थिक विकास नहीं होने से

भी अलग राज्य के गठन के लिए मांगें होने लगती हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितनी बार क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर आधारित आंदोलनों के कारण राज्यों का पुनर्गठन किया गया है?

लेकिन कई बार क्षेत्रीयवाद राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करता है तथा लोगो में दूसरे क्षेत्रों के हितों के विरूद्ध नकारात्मक भावना को प्रोत्साहित करता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीयवाद हानिकारक होता है। अनेक अवसरों पर क्षेत्रीय विरोध तथा प्रदर्शन राजनीतिक सोच पर आधारित होते हैं।

आक्रामक क्षेत्रीयवाद तो और भी अधिक खतरनाक होता है, क्योकि यह अलगाववादी हो जाता है। इस तरह की भावनाओं के अनुभव आसाम तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों के कुछ भागों से हमें प्राप्त हो रहे हैं।

चित्र 24.2 दार्जिलिंग आन्दोलन

क्रियाकलाप 24.4

क्षेत्रीय आन्दोलनों के फलस्वरूप कुछ राज्यों को विभिजित कर नए राज्यों का निर्माण हुआ है। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा प्रमुख रूप में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। उसके बाद बहुत से नए राज्यों का निर्माण हुआ है। सबसे हाल में छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं उत्तराखण्ड राज्यों का निर्माण हुआ है। इन तीनों में से प्रत्येक राज्य एक एक राज्य को विभाजित कर के बनाया गया है। नए राज्य के निर्माण के लिए आन्दोलन जारी है। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित कार्य कीजिए :

1. उन तीन राज्यों की पहचान कीजिए, जिनको विभाजित कर छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा उत्तराखण्ड राज्य बनाए गए हैं।
2. उस प्रस्तावित राज्य का नाम बताइए जिसे आंध्रप्रदेश को विभाजित कर निर्मित करने के लिए आन्दोलन हो रहा है।

ग. भाषावाद

हम यह जानते हैं कि भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। भारत के लोग लगभग 2000 भाषाएँ तथा बोलियाँ बोलते हैं। इस बहुलवादिता का कई अवसरों पर, विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद के प्रारम्भिक दशकों में, नकारात्मक उपयोग हुआ है। प्रत्येक देश को एक सामान्य राजभाषा की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत के लिए ऐसा करना आसान नहीं रहा है। जब संविधान सभा में यह संस्तुति की गई कि हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाय तो लगभग सभी गैर हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया। एक समझौते के अंतर्गत संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा घोषित किया लेकिन यह भी प्रावधान किया कि 15 वर्षो तक अंग्रेजी का केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रयोग होता रहेगा।

जब 1955 में गठित राज-भाषा आयोग ने राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग की सिफरिश की तो गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में इसका व्यापक विरोध हुआ। वैसे विरोध एवं प्रदर्शन एक बार फिर 1963 में हुए जब लोक सभा में राज-भाषा विधेयक प्रस्तुत किया गया। अतः एक समझौता के तहत 1963 के अधिनियम के द्वारा सरकारी काम-काज के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की अनुमति दी गई तथा इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

क्या आप जानते हैं

हिन्दी भाषा को राजभाषा बनाए जाने के विराध में होने वाले आंदोलनों के समय विभिन्न भाषा समूहों को संतुष्ट करने तथा राष्ट्रीय समाकलन को बढावा देने के लिए एक त्रिभाषीय फॉरमुला को विकसित किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक को तीन भाषाएँ पढ़नी होंगी। हिन्दी तथा अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा के पढ़ाए जाने की व्यवस्था हुई। इसके अनुसार हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में किसी दक्षिण भारतीय भाषा को पढ़ाने पर प्राथमिकता दी जाएगी। गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा तथा अंग्रेजी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाई जाएगी। यद्यपि इस फॉरमुला को विद्यालयी पाठ्यचर्या में समाहित करने के प्रयास किए गए है, लेकिन इसका पूर्ण कार्यान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है।

यघपि भाषा पर आधारित राज्य की मांग को 1956 में किए गए राज्यों के पुनर्गठन के समय व्यापक तौर पर पूरा किया गया था देश के कुछ भागों में अभी भी आंदोलन चल रहें है। वैसे आंदोलन राष्ट्रीय समाकलन के लिए अनेक चुनौतियाँ पैदा करते हैं।

घ. उग्रवाद

देश के कई भागों में चलाए जा रहे उग्रवादी आंदोलन राष्ट्रीय समाकलन के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आपने नक्सलवादी या माओवादी आंदोलन के बारे में सुना होगा। ये आंदोलन प्रायः हिंसा का प्रयोग करते हैं, सार्वजनिक जीवन में भय पैदा करते हैं, सरकारी कर्मचारीगणों तथा लोगों की जान लेते हैं तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को बर्बाद करते हैं। ऐसे आंदोलन में प्रायः युवा भाग लेते हैं। युवाओं के द्वारा हथियार उठाने का आधारभूत कारण उनकी सामाजिक आर्थिक

विकास से वंचित रहने की लगातार बनी हुई स्थिति है। इसके अतिरिक्त दैनिक अपमान, न्याय का नहीं मिलना, मानवाधिकारों का उल्लंघन, विभिन्न प्रकार के शोषण तथा राजनीतिक हाशिए पर बने रहना उन्हें नक्सलवादी आंदोलन में शामिल हो जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो भी हो इस तरह के उग्रवादी आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था तथा वहां के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए खतरा हैं।

चित्र 24.3 जंगल में नक्सलवादी

24.1.5 राष्ट ्रीय समाकलन को बढ़ावा देने वाले कारक

यघपि उपर्युक्त चुनौतियाँ अभी भी कायम हैं, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो राष्ट्रीय समाकलन को ठोस आधार प्रदान करते हैं। वे हैं :

क. सांविधानिक प्रावधान

जैसा हमने देखा है जो राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। संविधान समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतन्त्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और वन्धुत्व को भारतीय राजनीतिक पद्वति के उद्देश्यों के रूप में स्वीकार करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व नयायसंगत आर्थिक विकास करने, सामाजिक भेदभाव का उन्मूल करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति एंव सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देश देता है। इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि विभिन्न संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान राष्ट ्रीय समाकलन की जरूरतों को ध्यान में रखकर किए गए हैं।

ख. सरकारी पहल

राष्ट्रीय समाकलन को बढावा देने के लिए सरकारों द्वारा पहल किए गए हैं। राष्ट्रीय समाकलन से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने तथा उपयुक्त कदम उठाने की अनुसंशा करने के लिए एक राष्ट्रीय एकता परषिद का गठन किया गया है। एक ही योजना आयोग पूरे देश में आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाता है तथा एक चुनाव आयोग चुनाव कराता है।

ग. राष्ट्रीय त्योहार एवं प्रतीक

राष्ट्रीय त्योहार एक महत्वपूर्ण समेकक शक्ति की तरह कार्य करते हैं। स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, गांधी जयन्ती जैसे राष्ट्रीय त्यौहार सभी भारतीय द्वारा देश के सभी भागों में मनाए जाते हैं, चाहे उनकी भाषा, उनका धर्म या उनकी संस्कृति कुछ भी हो। हमलोग प्रत्येक वर्ष 19 नवम्बर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं तथा शपथ लेते हैं। इस दिन को '' कौमी एकता दिवस'' भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय प्रतीक भी यह याद

दिलाते हैं कि हम सबों की पहचान एक है। इसीलिए इन प्रतीकों के प्रति उचित आदर दिखाने को हम महन्वपूर्ण मानते हैं। ये सभी हमारी सामान्य राष्ट्रीयता की याद दिलाते रहते हैं।

क्या आप जानते हैं

राष्ट्रीय एकता की शपथ का प्रारूप निम्नलिखित है : ''मैं सत्य निष्ठा से देश की स्वतन्त्रता तथा अखण्डता को सुरक्षित रखने तथा मजबूत बनाने के लिए समर्पण के साथ काम करने की शपथ लेता हूँ। मैं और आगे प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा तथा धर्म, भाषा, क्षेत्र या अन्य राजनीतिक या आर्थिक शिकायतों से संबंधित सभी मतभेद और विवाद शान्तिपूर्ण एवं सांविधानिक साधनों द्वारा सुलझा लिए जाने चाहिए।''

घ. अखिल भारतीय सेवाएँ तथा अन्य कारक

अखिल भारतीय सेवाएँ (आई. ए. एस., आई. एफ. एस., आई. पी. एस तथा अन्य) एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, डाक तथा रेडियों, टेलीविजन एवं इन्टरनेट सहित संचार तन्त्र भारत राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बढ़ावा देते हैं। आप यह जानते होंगे कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय स्तर पर होती है, लेकिन वे राज्यों में काम करते हैं। उनमें से बहुत राज्य स्तर पर लम्बा अनुभव पाने के बाद केन्द्र सरकार में काम करने आते हैं। तथा पूरे देश के लिए नीति निर्णय लेने में भागीदारी करते हैं। आप रेडियो द्वारा राष्ट्रीय घटनाओं पर होने वाले प्रसारण को सुना होगा या टेलिविजन पर उन घटनाओं को देखा होगा। क्या यह सच नहीं कि देश के सभी भागों के लोग ऐसा करते हैं?

क्रियाकलाप 24.5

कल्पना चावला का अन्य अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ अन्तरिक्ष में जाना या भारतीय क्रिकेट टीम का विश्व कप जीतना जैसी कुछ घटनाएँ पूरे देश को एक सूत्र में बाँधते हैं। कुछ ऐस खिलाड़ी होते हैं जो राष्ट्रीय नायक हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे व्यक्तित्त्व हैं जिनका पूरे भारत में आदर किया जाता है। आप निम्नलिखित पर कम से कम 5 ऐसे व्यक्तियों का विचार एकत्रित कीजिए जो आपके मित्र, वर्ग के शिक्षार्थी, परिवार के सदस्य, शिक्षक, या अन्य हो सकते हैं :

1. वह कौन सा भारतीय व्यक्तित्त्व है जिसे पूरे देश में लोगों द्वारा सबसे अधिक आदर किया जाता है?
2. वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसे पूरे देश के अधिकतम युवा अपना आदर्श मानते हैं?
3. वे कौन सी राष्ट्रीय घटनाएँ है जिनके टेलीविजन पर होने वाले प्रसारण को पूरे देश के लोग देखते हैं या रेडियो द्वारा होनेवाले प्रसारण को सूनते हैं,
4. कम-से-कम ऐसे दो ऐसी भोजन वस्तु का नाम बताइए जिन्हें भारत के सभी भागों के लोग पसन्द करते हैं।

एकत्रित की गई सूचना का विश्लेषण कीजिए तथा भारत के लोगों में एकता की भावना को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है इस पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।

पाठगत प्रश्न 24.3

1. सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है?
2. क्या आप इससे सहमत हैं कि क्षेत्रीयवाद न्यायोचित हो सकता है? अपने उत्तर का कारण बताइए।
3. गैर-हिन्दी भाषा भाषी राज्य हिन्दी भाषा को राजभाषा बनाए जाने का विरोध क्यों करते हैं?
4. उग्रवाद राष्ट्रीय समाकलन के लिए एक खतरा क्यों है?

24.2 पंथ निरपेक्षता

हम सभी यह जानते हैं कि सांप्रदयिकता राष्ट्रीय समाकलन के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हमलोग यह भी जानते हैं कि भारतीय समाज में गैर-सम्प्रदायवादी परम्परा रही है। सदियों से यह अनके धर्मों तथा संस्कृतियों को अपनाते रहा है तथा अन्तर्लीन करते रहा है। किन्तु ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ के लोगों को बांटने के लिए सांप्रदायिकता का प्रयोग किया गया। औपनिवेशिक शासकों ने इसके लिए विशेष परिस्थितियाँ बनायीं तथा भारतीयों को यह महसूस कराया कि वे अलग-अलग धार्मिक समुदायों के सदस्य हैं तथा उन्हें अपने-अपने धार्मिक समुदायों के हितों पर ध्यान देना चाहिए। संविधान निर्माताओं को सांप्रदायिकता की नकारात्मक क्षमता का ज्ञान हो गया था। यही कारण है कि संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। यद्यपि मौलिक संविधान में पंथ निरपेक्षता को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रावधान थे, लेकिन देश में होने वाली सांप्रदायिक गतिविधियों के कारण 1976 में इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया गया। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता को संविधान की प्रस्तावना में एक उद्देश्य के रूप में जोड़ा गया। इसे भारतीय लोकतंत्र का एक स्तम्भ माना गया।

24.2.1 पंथ निरपेक्षता का अर्थ

पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? इस अवधारणा के बदले कई बार धर्म निरपेक्षता का भी प्रयोग किया जाता है। आपने कुछ व्यक्तियों को यह कहते सुना होगा कि "मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ" कुछ लोग, कई राजनीतिज्ञ यह भी कहते हैं कि संविधान में कृत्रिम पंथ निरपेक्षता (स्यूडो सेकुलरिज्म) का प्रावधान है। इसलिए पंथ निरपेक्षता का सही अर्थ समझना आवश्यक है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ अधार्मिक या धर्मविरोधी होना नहीं है। कृत्रिम पंथ निरपेक्षता पद का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है। वास्तव में पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों की समानता तथा धार्मिक सहिष्णुता है। इसके अर्थ को दो संदर्भों, राज्य के संदर्भ एवं व्यक्ति के संदर्भ में समझना आवश्यक है। राज्य के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का यह अर्थ है कि भारत का कोई औपचारीक राज्य धर्म नही है। सरकारो को किसी धर्म का पक्ष नहीं लेना है, न ही किसी धर्म के विरूद्ध भेदभाव करना है। राज्य सभी धर्मो को समान मानता है तथा उनका आदर करता है। सभी नागरिक चाहे उसका कोई भी धर्म हो, कानून के सामने समान है। सरकारी या सरकार के अनुदान से चलाए जा रहे विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती किन्तु वहाँ विश्व के सभी धर्मो

के बारे में सामान्य सुचनाएँ दी जा सकती हैं। ऐसा करते समय, किसी भी एक धर्म को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।

व्यक्ति के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का अर्थ सर्व धर्म समभाव है अर्थात व्यक्ति के द्वारा सभी धर्मों को समान आदर देना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा चुने गए धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने अधिकार है। सभी नागरिकों को अन्य सभी धर्मो का वैसा ही आदर करना चाहिए, जैसा वे अपने धर्म का करते हैं। कोई भी धर्म व्यक्ति को दूसरों की अवहेलना करने या घृणा करने की आज्ञा नहीं देता है।

चित्र 24.4 धर्म का चयन करने की स्वतन्त्रता

24.2.2 संवधिान मे पंथ निरपेक्षता

हमने ऊपर यह देखा कि भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए संविधान में विभिन्न प्रावधान हैं। भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना तथा विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अध्यायों के माध्यम से भारत में समानता एवं भेदभाव रहित सिद्धान्त पर आधारित एक पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया है। सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के साथ-साथ पंथ निरपेक्षता को भी भारतीय संविधान की एक आधारभूत संरचना माना गया है। इसको संविधान में प्राथमिक तौर पर एक मूल्य की तरह प्रतिबिम्बित किया गया है ताकि यह हम लोगों के बहुलवादी समाज को समर्थन दे। पंथ निरपेक्षता भारत के विभिन्न समुदायों के बीच सम्बद्धता को बढ़ावा देता है।

24.2.3 पंथ निरपेक्षता का महत्व

संविधानिक प्रावधानों तथा सुरक्षाओं के बावजूद सभी भारतीय अभी तक सच्चे अर्थो में पंथ निरपेक्ष नहीं हो पाए हैं। हमलोगों को नियमित अन्तराल में साम्प्रदायिक दंगो का अनुभव होता रहता है। यहाँ तक कि बहुत ही अमहत्वपूर्ण कारणों से भी साम्प्रदायिकता तनाव एवं हिंसा होते रहते

हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पंथ निरपेक्षता साम्प्रदायिक सद्भाव एवं शान्ति कायम रखने के लिए अनिवार्य है। जब भी आप अपने आस-पास देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मित्र, पडोसी आपके साथ पढ़ने वाले मित्र आपसे भिन्न धर्म में विश्वास रखते हैं तथा उसका आचरण करते हैं। वे अलग-अलग जाति के हैं । जब तक आप उनके धर्म का आदर नहीं करते तथा वे आपके धर्म का आदर नहीं करते तबतक आप उनके साथ एक अच्छे मित्र या पड़ोसी जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। चूँकि भारत एक बहुलवादी समाज है अतः यह सभी लोगों के लिए आवश्यक है कि वे एक दूसरे का आदर करें तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तितव का आचरण करें।

क्या आप जानते हैं

भारत बडी विविधताओं तथा असीमित बहुलताओं को देश है यहाँ के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है तथा यहाँ 400 से भी अधिक उपभाषाएँ या बालियाँ हैं। इस देश ने दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों को प्रश्रय दिया है। यह मुसलमानों की जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूरोप के द्वारा ईसाई धर्म के अपनाए जाने के पहले ही भारत ने उसका स्वागत किया था। भारत ने धार्मिक उत्पीड़न से भागे हुए लोगों को अपने यहाँ हमेशा शरण दी है। यहाँ 4000 से भी अधिक जातियाँ प्रजातियाँ तथा सगोत्रीय जातियाँ रहती हैं। भारत सच में एक बहु-धार्मिक, बहु भाषा भाषी, बहु-जातिय एवं बहु क्षेत्रीय सम्यता है, जिसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं है।

अतः पंथ निरपेक्षता ही एक मात्र रास्ता है, जिस पर चल कर सभी धर्म एवं समुदाय को बने रहने का स्थान मिलेगा तथा जहाँ वे एक दूसरे का आदर करेंगे।

पाठगत प्रश्न 24.4

1. पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है?
2. संविधान से पंथ निरपेक्षता से सम्बन्धित कौन-कौन से प्रावधान हैं?
3. भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में सशक्त बनाने के लिए एक नागरिक की क्या भूमिका है?

आपने क्या सीखा

- राष्ट्र एक ऐसे देश को कहते हैं जहाँ की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना एकीकृत होती है। वहाँ के लोगों में सामान्य इतिहास, समाज, संस्कृति तथा मूल्यों पर आधारित एकत्व की भावना होती है। यही भावना लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बाँधती है।

- भारत विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों, समुदायों तथा जातियों के लोग रहते हैं। वे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं। तथा अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं। वे विभिन्न धर्मो में विश्वास करते हैं और उनका आचरण करते हैं।

- उनकी जीवन शैली में भी काफी विविधताएं हैं। किन्तु इन व्यापक विविधताओं के बावजूद वे सभी भारतीय हैं तथा वैसा ही अनुभव करते हैं।

- राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक सामूहिक पहचान का बोध है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि नागरिक विभिन्न समुदायों के हैं, उनकी जातियां भिन्न-भिन्न हैं। उनका धर्म एवं उनकी संस्कृति अलग-अलग हैं। वे अलग-अलग क्षेत्रों में रहते हैं तथा विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, लेकिन वे सभी तहे दिल से इसको स्वीकार करते हैं कि वे एक हैं। इस तरह का राष्ट्रीय समाकलन एक मजबूत एवं प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।

- पहली बार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रत्व की भावना एवं संवेदनशीलता का संचार हुआ तथा राष्ट्रीय समाकलन की आवश्यकता महसूस की गई। इस आंदोलन में विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, संस्कृतियों, समुदायों, जातियों तथा पंथों के लोग एकजुट हुए ताकि ब्रिटिश सत्ता को भारत से निकाल फेंका जा सके। आंदोलन के नेतृत्व ने समानता, स्वतंत्रता, पंथनिरपेक्षता एवं सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इनको भारत के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया गया।

- भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बहुत अधिक बल देता है। इसकी प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया।

- भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बहुत अधिक बल देता है। इसकी प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत की सम्प्रभुत्ता तथा एकता एवं अखण्डता की रक्षा करना तथा उन्हें अच्क्षुण्ण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

- राष्ट्रीय समाकलन को कायम रखने और मजबूत बनाने के प्रयास में भारत अनेक चुनौतियों का सामना करता आया है। उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं : साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद तथा उग्रवाद।

- राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देने के बहुत से कारक हैं। इसको बढ़ावा देने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। सरकारों द्वारा भी कई प्रयत्न किए गए हैं। राष्ट्रीय समाकलन से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार विमर्श करने तथा उपयुक्त कदम उठाने की अनुसंशा करने के लिए एक राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया है। एक ही योजना आयोग पूरे देश की आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाता है तथा एक् चनाव आयोग चुनाव कराता है। राष्ट्रीय त्योहार एक महत्वपूर्ण समेकक शक्ति की तरह कार्य करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय प्रतीक भी यह याद दिलाते हैं कि हम सबों की पहचान एक है।

- पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों की समानता तथा धार्मिक सहिष्णुता है। इसका अर्थ यह है कि भारत में कोई औपचारिक सरकारी धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकती न ही किसी धर्म के विरूद्ध भेदभाव कर सकती है। यह सभी धर्मो को समान मानती है और उनका आदर करती है। प्रत्येक नागरिक द्वारा "सर्व धर्म समभाव" के सिद्धान्त का आचरण करना आवश्यक है।
- भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना तथा विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अध्यायों के माध्यम से भारत में समानता एवं भेदभाव रहित सिद्धान्त पर आधारित एक पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया है।
- पंथनिरपेक्षता केवल सांप्रदायिक सदभाव तथा शान्ति बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि देश के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है।

पाठान्त अभ्यास

1. राष्ट्रीय समाकलन को परिभाषित करिए तथा राष्ट्रीय समाकलन के आविर्भाव में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान की चर्चा कीजिए।
2. भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन को किस प्रकार प्रतिबिम्बित करता है तथा उसे बढ़ावा देता है?
3. भारत में राष्ट्रीय समाकलन की कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं?
4. ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देते हैं तथा मजबूत बनाते हैं?
5. पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करिए तथा भारतीय राजनीतिक पद्धति के लिए इसके महत्व की व्याख्या कीजिए।
6. नीचे दो सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के कथन दिए गए हैं :

   महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, ''मैं एक हिन्दू हूँ तथा उसपर मैं अत्यधिक भरोसा करता हूँ। मैं इसके लिए मर सकता हूँ। लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। राज्य का इससे कोई संबंध नहीं। राज्य आपके पंथनिरपेक्ष कल्याण, स्वास्थ्य, संचार, विदेशी सम्बन्धों, मुद्रा आदि की देखभाल करेगा, लेकिन आपके तथा मेरे धर्म का नहीं। वह प्रत्येक व्यक्ति का वैयक्तिक सरोकार है।''

   महात्मा गांधी के एक निकटतम सहयोगी, मौलाना आजाद ने कहा थाः ''मैं एक मुसलमान हूँ तथा इस तथ्य के प्रति गंभीर रूप से चैतन्य हूँ कि मुझे इस्लाम के पिछले तेरह सौ सालों की गौरवमयी परम्पराएं विरासत में मिली हैं मैं इस विरासत के छोटे से छोटे भाग को खोने

के लिए तैयार नहीं हूँ।...मुझे इस तथ्य के सम्बन्ध में भी उतना ही गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ, भारतीय राष्ट्रत्व की अविभाज्य एकता का अनिवार्य हूँ, इसके सम्पूर्ण ढांचे में एक महत्वपूर्ण घटक हूँ, जिसके बिना यह भव्य इमारत अपूर्ण रहेगी।''

उपर्युक्त दोनों कथनों के संदर्भ में भारत में पंथनिरेक्षता और राष्ट्रीय समाकलन को मजबूत बनाने के लिए भारतीय नागरिकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

24.1

1. (i) जहाँ की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना एकीकृत होती है।

   (ii) सामूहिक पहचान

   (iii) मजबूत एवं प्रगतिशील राष्ट्र

   (iv) हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिक्ख तथा पारसी

2. राष्ट्रीय समाकलन किसी भी ऐसे राष्ट्र के लिए अनिवार्य है, जहाँ सामाजिक-सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषागत तथा भौगोलिक विविधताएं हैं। हमारे देश के लिए तो यह और भी अधिक अनिवार्य है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का आचरण होता है। यहाँ हजार से भी अधिक भाषाएं हैं। इन विविधताओं के बावजूद भारत का एक राजनीतिक अस्तित्व है। हमलोगों को एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बनाए रखना है। यह तभी संभव है जब सही अर्थ में राष्ट्रीय समाकलन साकार हो।

24.2

(क) समाकलित

(ख) राष्ट्रत्व

(ग) क्षेत्रों, धर्मों, संस्कृतियों, समुदायों तथा जातियों

(घ) 1885

2. भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बहुत अधिक बल देता है। इसकी प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत की सम्प्रभुता तथा एकता एवं अखण्डता की रक्षा करना तथा उन्हें अच्क्षुण्ण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। संविधान ने एक मजबूत केन्द्र वाली संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया है।

24.3

1. साम्प्रदायिकता तब जन्म लेती है जब एक धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति अत्यधिक प्रेम तथा दूसरे धर्मों के विरूद्ध घृणा करने लगते हैं। इस तरह की भावना धार्मिक कट्टरवाद और धर्मान्धता के लिए खतरा साबित होती है।

2. क्षेत्रीयवाद न्यायोचित हो सकता है, यदि माँगे किसी क्षेत्र की लगातार अवहेलना पर आधारित हो। उस क्षेत्र या उस क्षेत्र के राज्यों को विकास के समग्र ढाँचे में क्रियान्वित हो रहे कार्यक्रमों या उद्योगों को विकसित करने की प्रक्रिया में उचित हिस्सा नहीं मिला हो।

3. चूँकि अधिकतम लोग हिन्दी नहीं जानते हैं लेकिन ऐसे गैर हिन्दी भाषी राज्य हैं जहाँ हिन्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह आवश्यक है कि हिन्दी-भाषी राज्य भी गैर-हिन्दी भाषाओं, जैसे, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, उड़िया या बंगाली या असमी को अपने क्षेत्रों में बढ़ावा दें।

4. क्योंकि ये आन्दोलन प्रायः हिंसा का प्रयोग करते हैं, सार्वजनिक जीवन में भय पैदा करते हैं, सरकारी कर्मचारी गणों तथा लोगों की जान लेते हैं, तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को बरबाद करते हैं। ऐसे आन्दोलनों में प्रायः युवा भाग लेते हैं। उनके द्वारा हथियार उठाने का आधारभूत कारण उनकी सामाजिक-आर्थिक विकास से वंचित रहने की लगातार बनी हुई स्थिति है। लेकिन इस तरह की उग्रवादी आन्दोलन प्रभावित क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था तथा वहां के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए खतरा है।

24.4

1. पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों की समानता तथा धार्मिक सहिष्णुता है। राज्य के सन्दर्भ में इसका अर्थ यह है कि भारत में कोई औपचारिक सरकारी धर्म नहीं है। सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकती न ही किसी धर्म के विरूद्ध भेदभाव कर सकती है। यह सभी धर्मों को समान मानती है। व्यक्ति के संदर्भ में इसका अर्थ सर्व धर्म समभाव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है।

2. भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना तथा विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अध्यायों के माध्यम से भारत में समानता एवं भेदभाव से मुक्त सिद्धांन्त पर आधारित एक पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया है।

3. सभी नागरिकों को सभी धर्मों का वैसा ही आदर करना चाहिए जैसा वे अपने धर्म का करते हैं। कोई भी धर्म व्यक्ति को दूसरों की अवहेलना करने या उनसे घृणा करने की आज्ञा नहीं देता। कोई भी नागरिक जब अपने आसपास देखेगा तो पाएगा कि उसका मित्र पड़ोसी तथा अन्य उससे भिन्न धर्म में विश्वास रखते हैं तथा उसका आचरण करते हैं। वे अलग-अलग जाति के हैं। यदि नागरिक दूसरों के धर्मों का आदर नहीं करें तो वे अपने मित्र या पड़ोसी के सच्चे मित्र कैसे बने रह सकते हैं। यह आवश्यक है कि सभी लोग एक-दूसरों का आदर करें तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का आचरण करें।